



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062022-236518
CG-DL-E-11062022-236518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2555]
No. 2555]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYASHTHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2022

का.आ. 2682(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956(1956 का 48)(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त पंक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 548डी के कि.मी. 178.400 से कि.मी. 195.375 (अरणगावसे जामखेड) दो लेन पेव्हड शोल्डर बनाने, चार लेन व्यवस्था का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे दी गई अनुसूची में दिए गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, कर्जत-जामखेड भाग कर्जत को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें आधार अधिकृत किये जायेंगे और सक्षम अधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा(१) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर और पुणे जिले में न्हावरा - काष्टी - श्रीगोंदा - माहीजलगांव - जामखेड कि. मी. 178.400 से कि. मी.195.375 (अरणगाव से जामखेड) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्र.548D के निर्माण (चौड़ा करने दो लेन और पेवड शोल्डर का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: अहमदनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: जामखेड					
गांव का नाम: अरणगाव					
1	2	निजी	कृषी	0.0251000(हेक्टेयर)	0.0251000
2	9	निजी	कृषी	0.0110000(हेक्टेयर)	0.0110000
गांव का नाम: जामखेड (सटी)					
1	786	निजी	कृषी	0.0120000(हेक्टेयर)	0.0120000
गांव का नाम: पाटोदा					
1	324	निजी	कृषी	0.0267000(हेक्टेयर)	0.0267000
2	325	निजी	कृषी	0.0120000(हेक्टेयर)	0.0120000
3	360	निजी	कृषी	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
4	361	निजी	कृषी	0.0095000(हेक्टेयर)	0.0095000
5	375	निजी	कृषी	0.3000000(हेक्टेयर)	0.3000000
गांव का नाम: रतनपुर					
1	353	निजी	कृषी	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
2	389	निजी	कृषी	0.0175000(हेक्टेयर)	0.0175000
3	507	निजी	कृषिक	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
कुल				0.4588	0.4588

[फा. सं. RO/MUM/12014/02/2020-21-MAH(Z-4)/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2022

S.O. 2682(E).—In exercise of the power conferred by sub-section(1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below is required for building (Upgradation and reconstruction Two / Four-Laning etc.) maintenance, management and operation of National Highway No.548D in the stretch of land from Km. 178.400 to Km. 195.375 (Starting From Arangaon to Jamkhed) in Jamkhed Taluka and District Ahmednagar in the State of Maharashtra.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Subdivisional Officer, Karjat Jamkhed Division, Karjat in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land Adhalgaon to Jamkhed from Km. 178.400 to Km. 195.375 (Arangaon to Jamkhed) Upgradation/ Reconstruction to two lanes with paved shoulder/Four lane configuration Nhavara Inamgaon Kashti Shrigonda Mahijalgaon Jamkhed road (NH - 548 D) in the State of Maharashtra, hereby declares intention to acquire such land for Ahmednagar District.

State: MAHARASHTRA			District: AHMEDNAGAR		
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Jamkhed					
Village: Arangaon					
1	2	Private	Agriculture	0.0251000(Hectare)	0.0251000
2	9	Private	Agriculture	0.0110000(Hectare)	0.0110000
Village: Jamkhed (CT)					
1	786	Private	Agriculture	0.0120000(Hectare)	0.0120000
Village: Patoda					
1	324	Private	Agriculture	0.0267000(Hectare)	0.0267000
2	325	Private	Agriculture	0.0120000(Hectare)	0.0120000
3	360	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
4	361	Private	Agriculture	0.0095000(Hectare)	0.0095000
5	375	Private	Agriculture	0.3000000(Hectare)	0.3000000

Village: Ratnapur					
1	353	Private	Agriculture	0.0150000(Hectare)	0.0150000
2	389	Private	Agriculture	0.0175000(Hectare)	0.0175000
3	507	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Total				0.4588	0.4588

[F. No. RO/MUM/12014/02/2020-21-MAH(Z-4)/3A2]

RAJESH GUPTA, Director